2

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज शंभूदयाल शर्मा बनाम लो.सू.अ. (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) सू.अ.अ. अपील संख्या 202/2019	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02.12.19	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी शंभूदयाल शर्मा पुत्र चम्पालाल शर्मा पता गणेश नगर भदवासिया, कृषि उपज मंडी मण्डोर रोड़, जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 30.08.. 2019 में उसके द्वारा (1) श्रीमान् जिला कलक्टर कार्यालय जन अभाव अभियोग एवं सतर्कता समिति जोधपुर के समक्ष दिनांक 25.06.2019 को तात्कालिन प्रबन्धक (यातायात) मुख्य प्रबन्धक आर एस आर टी सी जोधपुर द्वारा की गई अनुचित असंवैधानिक, अनियमित, नियम विरूद्ध अन्यायपूर्ण कार्यवाही पर आवश्यक समुचित कार्यवाही कर प्रार्थी के साथ न्याय बाबत् पेश किया गया, उस पर आज तक क्या कार्यवाही हुई व अन्य बिन्दुओं , से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहींदी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) से आजदिनांक तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के बारे में प्रार्थी को 15 दिवस में उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Rajpurohit
Date: 2020.02.17 18:32:04 IST
Reason: SelfAttested